आज़ादी का अमृत महोत्सव

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.3(1)2011/कार्मिक/से.नि./प्रमुवसं–01991/पार्ट–V/4937 दिनांक : 27.09.2023

–:: कार्यालय आदेश ::–

राजस्थान सेवा नियम, 1951 के उप नियम–56 एवं शासन सचिव, वित्त विभाग (नियम अनुभाग), जयपुर के परिपत्र क्रमांक पं. 1 (6)वित्त/नियम/98 दिनांक 24.05.2004 के अनुसरण में कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, एफ.पी.आर.पी, अरावली भवन, जयपुर में कार्यरत श्री विनोद कुमार अरूण, कनिष्ठ अभियंता जिनकी जन्म तिथि 01.01.1964 है, को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने के फलस्वरूप दिनांक 31.12.2023 को अपरान्ह में राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश एतद् द्वारा जारी कियें जाते है।

वित्त विभाग (नियम) अनुभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक पं. 12 (6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री विनोद कुमार अरूण के विरुद्ध आज तक :–

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 नियम–19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।

यह स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दिये गये किसी प्रकार के ऋण शेष नहीं होने एवं कार्मिकों के राजकीय आवास में अधिवासित होने की स्थिति में, उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि से दो माह की अवधि में राजकीय आवास रिक्ति कराने की शर्त पर जारी की जाती है।

उक्त कार्मिकों के पेंशन परिलाभों के नियमानुसार भुगतान में विलम्ब की स्थिति के लिए कार्यालयाध्यक्ष उत्तरदायी होगा।

(मुनीश कुमार गर्ग)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन बल प्रमुख)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.3(1)2011/कार्मिक/से.नि./प्रमुवसं–01991/पार्ट–V/4938-47 दिनांक : 27.09.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, एफ.पी.आर.पी, अरावली भवन, जयपुर को उनके पत्रांक 556 दिनांक 30.06.2023 के क्रम में लेख है कि इस आदेश के जारी होने के पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक के विरूद्ध कोई विभागीय जा{च लम्बित/प्रस्तावित अथवा ऐसी स्थिति हो जो पेंशन को प्रभावित करती हो, तो अविलम्ब इसकी सूचना संबंधित पेंशन कार्यालय तथा इस विभाग को भिजवावें जिससे उचित कार्यवाही की जा सके।
3. कोषाधिकारी कोषालय, जयपुर।
4. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन करने हेतु।
5. श्री विनोद कुमार अरूण, कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, एफ.पी.आर.पी, अरावली भवन, जयपुर।
6. प्रभारी जांच/गोपनीय/कार्मिक (मंत्रालयिक) अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. रक्षित पत्रावली।

(बृज मोहन गुप्ता)
उप वन संरक्षक (मु.का. प्रस्था.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

Signature valid
Digitally signed by Munish Kumar Garg
Designation : Principal Chief Conservator Of Forest
Date: 2023.09.22 1?:20:28 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4730612